न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास–कुमार पाल गौतम,आई.ए.एस

राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 65 / 2017

प्रार्थी

रामूराम पुत्र भोपालराम जाति रेबारी निवासी पालडी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. कानाराम पुत्र पूसाराम जाति रेबारी निवासी पालडी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
2. रामसुख गुर्जर उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर
3. तहसीलदार कुचानसिटी जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री अनिल गौड ।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री रमेश कुमार ढाका व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणां।

आदेश दिनांक– 15.3.18

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या–13 / 2017 रामूराम बनाम कानाराम वगैराह को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के विरूद्ध धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी में पेश किया था, जिसके प्रकरण संख्या 26 / 14 थे जिसमें प्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित किया गया था, किन्तु उक्त आदेश की अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष होने पर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने उक्त प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागौर को रिमाण्ड कर दिया। जिस पर नये प्रकरण संख्या 13 / 2017 कायम किये गये। उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी के न्यायालय में उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश नहीं किया, जिसे दिनांक 23.10.2017 को भी 100 रूपये कॉस्ट पर अंतिम अवसर दिया गया, उसके पश्चात् दिनांक 06.11.2017 को प्रार्थी के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर दी, इसके पश्चात् भी अप्रार्थी संख्या 2 उक्त प्रकरण में निर्णय पारित नहीं कर रहे है तथा उक्त प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 2 उपखण्ड अधिकारी विलम्ब कर रहे है। दिनांक 06.11.2017 को पेशी नियत थी तथा प्रार्थी व अप्रार्थी अपनी पेशी के लिये न्यायालय में आये थे, जहां पर अप्रार्थी संख्या 1 कानाराम ने प्रार्थी से कहा कि, गुर्जर साहब(अप्रार्थी सं. 2) तो मेरे है तथा मै फैसला अगली पेशी पर करवाकर रहूंगा तथा मेरे वकील के अलावा एक अन्य वकील राजेश गुर्जर तो भाजपा के नेता है वो मेरा काम करवाकर रहेगा और दोनो न्यायालय के ऑफिस से एक साथ बाहर आये तथा अब मुझ प्रार्थी को अप्रार्थी के वकील व अन्य वकील राजेश गुर्जर तथा अप्रार्थी संख्या 2 उपखण्ड अधिकारी के मेलमिलाप का शक हो गया है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 के प्रभाव में है और उनकी कोई रूची प्रकरण के अंतिम निस्तारण में नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रार्थी द्वारा पेश किये गये

कलक्टर, नागौर

आवेदन में प्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश किये काफी समय हो गया है किन्तु उसमें न तो आज तक फैसला किया है और न ही बार–बार पीठासीन अधिकारी से पूछने पर कोई सही जवाब दे रहे है। इससे प्रार्थी को पूरा शक है कि, पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 के प्रभाव में है तथा उक्त प्रार्थना पत्र में फैसला जानबुझकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में उससे प्रभावित होकर करने पर उतारू है। प्रार्थी को युक्तियुक्त संदेह है कि कुचामनसिटी के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 के प्रभाव में होने के कारण इस प्रकरण के निस्तारण में रूची लेकर सही निर्णय नहीं करेंगें और आज दिन तक उक्त पत्रावली का कोई निर्णय पारित नहीं किया है। इसलिए प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के न्यायालय से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने का आदेश प्रदान करने का कथन करते हुए प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विचाराधीन प्रकरण संख्या 13 / 2017 रामूराम बनाम कानाराम वगैराह अदालत उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी से पत्रावली में अग्रीम कार्यवाही के लिए किसी अन्य न्यायालय में मुन्तिकिल किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने वकील प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को तंग व पेरशान करने की नियत से झूठे तथ्यों के आधार पर न्यायालय में आवेदन पेश किया था। उक्त प्रकरण को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी ने बाद सुनवाई रिमाण्ड किया था। जिसकी सुनवाई के लिये माननीय अधिनस्थ न्यायालय में पत्रावली चल रही है। आवेदन का पैरा संख्या 2 सही नहीं होने से अस्वीकार है। यह कथन गलत है कि उक्त प्रकरण में विलम्ब किया जा रहा हो बल्कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय विधिनुसार कार्यवाही कर रहे है। आवेदन का पैरा नम्बर 3 गलत होने से अस्वीकार है। यह कथन गलत है कि दिनांक 06.11.2017 को प्रार्थी व अप्रार्थी पेशी पर न्यायालय में आये जहां पर अप्रार्थी संख्या 1 कानाराम ने प्रार्थी से कहा हो कि, गुर्जर साहब (अप्रार्थी संख्या 2) तो मेरे है तथा मै फैसला अगली पेशी पर करवाकर रहूंगा, यह कथन भी गलत है कि मेरे वकील के अलावा एक अन्य वकील राजेश गुर्जर जो भाजपा का नेता है वो मेरा काम करवाकर रहेगा और दोनो न्यायालय के ऑफिस से एक साथ बाहर आये हो। यह कथन भी गलत है कि अप्रार्थी के वकील व अन्य वकील राजेश गुर्जर तथा अप्रार्थी संख्या 2 उपखण्ड अधिकारी के मेलमिलाप हो गया हो। यह कथन भी गलत है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 के प्रभाव में हो। यह कथन भी गलत है कि उनकी कोई रूची प्रकरण के अंतिम निस्तारण में नहीं हो। यह कथन भी गलत है कि न्याय मिलने की उम्मीद नहीं हो। आवेदन का पैरा नम्बर 4 गलत होने से अस्वीकार है। यह कथन गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रभाव में हो और फैसला जानबुझकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में करने पर उतारू हो। आवेदन का पैरा नम्बर 5 गलत होने से अस्वीकार है। यह कथन गलत है कि कुचामनसिटी के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 के प्रभाव में होने के कारण इस प्रकरण के निस्तारण में रूची लेकर सही निर्णय नहीं करेगें और आज दिन तक उक्त पत्रावली का कोई निर्णय पारित किया हो बल्कि अधिनस्थ न्यायालय विधिनुसार कार्यवाही कर रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को तंग व परेशान करने की नियत से मिथ्या तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश करने का कथन करते हुए प्रार्थी का आवेदन सारहीन, बेबुनियाद व मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज करने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अपनी बहस में वकील अप्रार्थी संख्या–1 की बहस का समर्थन किया एवं प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं अन्य पर लगाये गये आरोपों को निराधार बताते हुऐ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण की आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गई है, जिसमें आदेशिका दिनांक 16.3.2017 के अनुसार उक्त विचाराधीन प्रकरण उनको राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पुनः आदेश पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया है। उक्त आदेशिकाओं के अनुसार तारीख पेशी 16.3.2017 के पश्चात 15 बार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तारीख पेशी दी गई है, परन्तु

कलक्टर, नागौर

अप्रार्थीगण कानाराम वगैरह द्वारा प्रकरण में उक्त 15 अवसर में भी जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। तारीख पेशी 23.10.17 को 100/– की कोस्ट पर अप्रार्थीगण को जबाब पेश करने हेतु आगामी तारीख पेशी 06.11.17 नियत की गई। तारीख पेशी 6.11.17 की आदेशिका अनुसार भी अप्रार्थीगण द्वारा जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई, जिसे शा.मि. किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा जबाब प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को जबाब प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर प्रदान करने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा जबाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई विधि सम्मत कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिसे उचित नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या–13/2017 रामूराम बनाम कानाराम वगैरह अन्तर्गत धारा 251(ए) की पत्रावली आगामी सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित की जाती है। उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी को उक्त मूल पत्रावली अविलम्ब उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को भिजवाने एवं उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को उक्त मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में विधि अनुसार सुनवाई कर यथाशीघ्र समुचित आदेश पारित करने के निर्देश दिये जाते है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी डीडवाना/कुचामनसिटी को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर